

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

रामरतन साँकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

54 / 2024 प्रा.पत्र / 2024

13.08.2024

11.02.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री भेंवर लाल यादव निवासी ग्राम पोस्ट धौलाखेडा तह0 व जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स होटल भारती जयपुर रोड एनएच-12 पक्का बन्धा टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड-304001 मोबाईल नं. 9214813824।

2-मैसर्स होटल भारती जयपुर रोड एनएच-12 पक्का बन्धा टोंक जिला टोंक। राज0 पिनकोड-304001।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार यादव स्वयं उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 11/2/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.05.2024 को समय 03:30 पी.एम. पर मैसर्स होटल भारती जयपुर रोड एनएच-12 पक्का बन्धा टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री भेंवर लाल यादव अपने प्रतिष्ठान मैसर्स होटल भारती जयपुर रोड एनएच-12 पक्का बन्धा टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री भेंवर लाल यादव को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री भेंवर लाल यादव ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु प्रतिष्ठान में फ्रीजर में एक भगोने में लगभग 20-25 किलोग्राम दही (मिश्रित दूध से निर्मित) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के



AdL
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री भँवर लाल यादव को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री भँवर लाल यादव व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि प्रतिष्ठान में फ्रीजर में एक भगोने में रखे लगभग 20-25 किलोग्राम दही (मिश्रित दूध से निर्मित) को अच्छी तरह हिला मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर में से कुल 800 ग्राम वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा दही (मिश्रित दूध से निर्मित) 800 ग्राम को अच्छी तरह हिला मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर 4 साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में बराबर-बराबर प्रत्येक शिशी में 200-200 ग्राम भरकर, प्रत्येक भाग में बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 16-16 बूंदे डालकर, प्रत्येक शिशी के ढक्कन को अच्छी तरह नियमानुसार एयरटाईट कर बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3996 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3996 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/669 दिनांक 11.06.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/1919/एक्ट/2024/1940 दिनांक 28.05.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया (मिश्रित दूध से निर्मित) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व




प्रतिरेक जिला बजिस्टर
टोक

विनियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार यादव स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ मवेशियों के दूध से निर्मित किया जाकर विक्रय किया जा रहा था। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस दही (मिश्रित दूध से निर्मित) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया दही (मिश्रित दूध से निर्मित) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/2/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।




(रामरतन सांकरिया)
न्याय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
अतिरिक्त टोंक मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0